

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—04/2021 (2021/15) प्रार्थना पत्र

1. हीरीदेवी पुत्री भुरा बलाई निवासी झड़ौल हाल कोचरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा

अनवान

वादीया

- बनाम
1. नन्दा आत्मज अमरा बलाई निवासी झड़ौल तहसील रायपुर मृतक के बजाय
 - 1/1. रामी पिता अमरा पत्नि बालु बलाई निवासी चौकड़ी तहसील रेलमगरा
 2. रोशनलाल पिता पन्नालाल बलाई निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
 3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रतिवादीगण

उपस्थित

1. पर्वतसिंह —
2. अमरसिंह, राजु नायक —

अधिवक्ता वादीया
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2
दिनांक 02.09.2021

निर्णय

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 18.03.2021 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम झड़ौल तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा मृतक गोकल आत्मज अमरा बलाई के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 269 रकबा 1.10 है0, आराजी संख्या 270 रकबा 0.70 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.80 है0 भूमि में वादीया का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/2 हिस्से का कब्जे को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन करवा रेवेन्यु रेकार्ड मे अलग खाता खोले जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एव तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 17.08.2021 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और उभयपक्ष अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर वादी अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीया के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम झड़ौल तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी मे प्रस्तावित आराजी संख्या 269/1 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 270/1 रकबा 0.17 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.45 है0 भूमि हीरी पुत्री भुरा जाति बलाई सा. देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 269/2 रकबा 0.27 है0, आराजी संख्या 270/2 रकबा 0.18 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.45 है0 भूमि रामी पिता अमरा पत्नि बालु बलाई निवासी चौकड़ी तहसील रेलमगरा देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 269/3 रकबा 0.55 है0, आराजी संख्या 270/3 रकबा 0.35 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.90 है0 भूमि रोशनलाल पुत्र पन्नालाल जाति बलाई सा. देह खातेदार के नाम पर रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 02.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा



मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—04/2021 (2021/15) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. हीरीदेवी पुत्री भुरा बलाई निवासी झड़ौल हाल कोचरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा

वादीया

बनाम

1. नन्दा आत्मज अमरा बलाई निवासी झड़ौल तहसील रायपुर मृतक के बजाय
1/1. रामी पिता अमरा पत्नि बालु बलाई निवासी चौकड़ी तहसील रेलमगरा
2. रोशनलाल पिता पन्नालाल बलाई निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीया के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम झड़ौल तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रस्तावित आराजी संख्या 269/1 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 270/1 रकबा 0.17 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.45 है0 भूमि हीरी पुत्री भुरा जाति बलाई सा. देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 269/2 रकबा 0.27 है0, आराजी संख्या 270/2 रकबा 0.18 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.45 है0 भूमि रामी पिता अमरा पत्नि बालु बलाई निवासी चौकड़ी तहसील रेलमगरा सा. देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 269/3 रकबा 0.55 है0, आराजी संख्या 270/3 रकबा 0.35 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.90 है0 भूमि रोशनलाल पुत्र पन्नालाल जाति बलाई सा. देह खातेदार के नाम पर रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 02.09.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।



Sundar Lal Bumboda
02.09.2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, भीलवाड़ा